राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन
2012-13

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम का गठन एवं उद्देश्य

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट वर्ष 2010-11 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा की पालना में "राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति लिमिटेड" का गठन किया गया।

निगम की कार्य प्रगति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु निगम को राज्य सरकार द्वारा थोक विक्रेता घोषित किया गया। निगम का तहसील स्तर पर कार्यालय स्थापित न होने के कारण समस्त जिलों में पूर्व में तहसील स्तर पर कार्यरत थोक विक्रेता अर्थात्- क्रय विक्रय सहकारी समिति, सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार एवं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय सहकारी विकास संघ लि. से ही खाद्यान्न का उठाव व वितरण कार्य करवाया जा रहा है।

फोर्टीफाईड आटा

राज्य सरकार के निर्णयानुसार सम्पूर्ण राज्य में एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को फोर्टीफाईड आटा उपलब्ध कराया जा रहा है। माह अप्रेल,2012 से दिसम्बर,2012 तक 60 लाख बैग्स (प्रति 10 किग्रा.) प्रतिमाह वितरित किये गये है। एपीएल योजनान्तर्गत फोर्टीफाईड आटा संभागीय मुख्यालय जिले एवं 4 जिलों (भीलवाडा, बाडमेर, चूरू व नागौर) के शहरी क्षेत्रों में वितरित किये गये प्रत्येक 10 किग्रा. के बैग की वितरण दर रूपये 81/- एवं शेष 22 जिलों के शहरी क्षेत्रों एवं राज्य के समस्त जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किये गये प्रत्येक 10 किग्रा. के बैग की वितरण दर रूपये 86/- है।

फोर्टीफाईड आटे की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक 50 टन के लॉट की जांच एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्रधारी प्रयोगशालाओं से नियमित तौर पर कराई जा रही है, जिसकी लैब रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, आपूर्ति द्वारा वितरण संबंधी कार्य प्रारम्भ करवाया जाता है। साथ ही फोर्टीफाईड आटे की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला रसद अधिकारी को रेण्डम सैपलिंग कर जांच करवाने हेतु निर्देश दिये गये है।

गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 24.08.2011 को राज्य में गैर पीडीएस वस्तुओं यथा चाय व नमक का शुभारम्भ किया गया था तथा दिनांक 01.07.2012 को माननीय खाद्यमंत्री महोदय द्वारा कपडे धोने के साबुन का शुभारम्भ किया गया है।

1. **नमक** - निगम द्वारा माह मार्च,2012 में आयोडाइज्ड फ्री फ्लो नमक की आपूर्ति हेतु प्राप्त निविदा प्रस्तावों में से सफल निविदादाताओं को कार्यादेश दिये गये तथा माह मार्च,2012 में 2135 मै.टन तथा अप्रेल,2012 से दिसम्बर,2012 तक कुल 7878.95 मै.टन नमक का विपणन निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से किया गया है।
2. **चाय** - निगम द्वारा माह अप्रेल,2012 से अक्टूबर,2012 तक कुल 18.13 लाख किलो चाय का विपणन आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से किया गया है। नवम्बर,2012 में चाय की आपूर्ति हेतु आमंत्रित ई-निविदाओं के माध्यम से प्राप्त निविदाओं में से सफल 6 निविदादाताओं को चाय की आपूर्ति हेतु पैनल बनाकर कार्यादेश दिये जा चुके है।
3. **कपडे धोने का साबुन** - निगम द्वारा कपडे धोने के साबुन हेतु द्वितीय बार आमंत्रित निविदाओं में से सफल निविदादाता को माह मई,2012 में कार्यादेश दिये गये थे तथा माह जून,2012 में माननीय खाद्यमंत्री महोदय द्वारा शुभारम्भ किया गया था। तत्पश्चात माह जुलाई,2012 से माह दिसम्बर,2012 तक कुल 6,62,500 किलोग्राम साबुन का विपणन निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से करवाया जा चुका है। प्रमुख शासन सचिव, खाद्य विभाग के निर्देशानुसार राज्य में डिटर्जेन्ट सर्फ व डिटर्जेन्ट साबुन की आपूर्ति हेतु निगम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं का पैनल बनाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
4. **दाल** - निगम द्वारा दाल की आपूर्ति हेतु द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदाओं के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में 3 निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली गई है तथा प्राप्त न्यूनतम दर पर अन्य सफल निविदादाताओं से न्यूनतम दर पर हरी मूंग की दाल आपूर्ति हेतु सहमति लेने हेतु उनको दिनांक 18.12.2012 को ई-मेल की गई है। सहमति प्राप्त होने के पश्चात दाल की आपूर्ति हेतु पैनल बनाकर कार्यादेश दिया जावेगा।
5. **मसाले** - निगम द्वारा पिसे हुए मसाले यथा- हल्दी, मिर्ची एवं धनियें की आपूर्ति हेतु द्वितीय बार आमंत्रित ई-निविदाओं के माध्यम से आमंत्रित

निविदाओं में 11 निविदा प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से सफल 4 निविदादाताओं को मसालों की आपूर्ति हेतु पैनल बनाकर कार्यादेश दिये जा चुके है। संभवत: माह फरवरी,2013 में उचित मूल्य की दुकानों को मसाले उपलब्ध करवा दिये जायेगें।

6. **खाद्य तेल** - अनुदानित योजना के अन्तर्गत खाद्यतेल वितरण हेतु एस.टी.सी. के माध्यम से एम.ओ.यू. किया जाकर खाद्यतेल क्रय की प्रक्रिया चल रही है।

7. सहरिया परिवारों को कुपोषण से बचाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माह दिसम्बर, 2012 में की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार निगम द्वारा 22373 सहरिया परिवारों को प्रतिमाह प्रति परिवार 2 किलो हरी मूंग दाल, 1 लीटर देशी घी एवं 2 लीटर सोयाबीन तेल की आपूर्ति निगम द्वारा माह जनवरी,2013 से प्रारम्भ की जा चुकी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत विभाग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्ति बाबत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये हुए है :-

क्र. सं.	विभाग	राज्य लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1.	खाद्य,नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर	उपायुक्त(मुख्यालय)	प्रमुख शासन सचिव (खाद्य)
2.	जिला स्तर पर	जिला रसद अधिकारी	जिला कलक्टर (रसद)

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अनु.(बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के लिए अवलोकनार्थ उपलब्ध है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

वास्तविक आय व्यय एवं सशोधित प्रावधान

वर्ष 2010-11, 2011-12 के वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के बजट प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ठ- '9'** पर एवं विभाग की प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ठ-'10'** पर अंकित है।